कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Phone/Fax no:-01368-222215

/630 / /२-) : दिनॉकः पौड़ी, माह, नवम्बर, / 4. 2022 पत्रॉक:-

सेवा में.

वन संरक्षक. गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

FP/UK/ROAD/45296/2020 प्रस्ताव सं0-

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119/534 किमी० 196. 00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

	उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में हुई त्रुटियों का				
f	निराकरण प्रतस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार से कर दिया गया है।				
1	On perusal of the proposal it is found that there is no detail of the existing approval under FCA of the existing road. State Government is requested to provide the information in this regard in detail.	10.2022 से अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र पर वर्ष 1965 से पूर्व की अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम् 1980 से पूर्व का है तथा इससे पूर्व के दस्तावेज इस खण्ड में संधारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप भारत के राजपत्र को संलग्न किया जा रहा है जो यह दर्शाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्वामित्व इस खण्ड की अधीन है। (संलग्नक–1)			
2	It is also seen that in the proposal no detail of the existing width of black top area, carriageway and RoW is provided. State Government is requested to provide the detail of the same.	प्रस्तावक विभाग द्वारा black top area, carriageway and RoW से सम्बन्धित वांछित अभिलेख संलग्न किये गये हैं। (संलग्नक-2)			
3	It is seen the existing RoW is not clearly recorded in the proposal. State Government is requested to provide information in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा ROW को डिजाईन प्लान में दर्शाया गया है, जिसका प्लान संलग्न है। (संलग्न–3)			
4	As per land schedule, additional RoW proposed in this proposal is mentioned as 18 m. State Government is requested to submit the drawing of the proposal showing existing, additionally required and total black top width of the road.	आपित का निराकरण बिन्दु संख्या—3 में स्पष्ट रूप से किया गया है।			
5	With reference to point no. 04, State Government is requested to justify the proposed width as per norms and order of MORTH.	अनुसार है। (तलापान-४)			
6	State Government is requested to submit a comparative chart of the width i.e. black top area, carriageway and RoW taken in char dham strategic road, char dham non strategic road and of this proposal.	जो कि मेरठ-लैन्सडौंन एवं चाईना सीमा को जोड़ती है। इस हेतु TCS का डिजाईन strategic रोड़ के अनुसार किया गया है जिसे बिन्दु संख्या-2 में संलग्न किया गया है।			
7	The location of muck disposal sites (which is entirely proposed in forest land) is not marked in the KML file and digital map of the area proposed for diversion. State Government may do the needful in this regard.	डिजिटल मैप पार्ट-। के Additional information			

		्रिके के ना में अवसव
9	As per DSS analysis, on a area rotation and 43 ha in MDF proposed in reserve forest land and civil soyam land. State Government is requested to change the CA area found VDF/MDF in reserve forest area and as per Ministry's order dated 08.03.2017, a land having less than 0.4 density is required to be selected. Further, it is also requested to submit plantation scheme in lieu of VDF/MDF found in civil soyam land as per Ministry's order dated 08.03.2017. Name and Shape of area proposed for CA given in KML file are different from that given in digital map. State Government is requested to provide the correct information in this regard and submit/upload the correct detail/mans/KML file.	गरत सरकार द्वारा लगाई गई आपित के कम में अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग में 43.00 हैक्टयर पूमि MDF एवं 6.00 हैक्टेयर भूमि VDF है जिसके कम में आप अन्यत्र भूमि चयन करें, प्रस्तावक विभाग ने अपनी पत्र संठ 1050/5सीठ, दिनांक 06.08.2022 से इस कार्यालय को आरक्षित अवनत भूमि में क्षेत्र चयन करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके कम में इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित अवनत वन भूमि में 32.553 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 65.106 हैठ का चयन कर प्रस्तावक विभाग को लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा 65.106 हैठ क्षेत्र का सीठएठ मैप एवं केठएमठएलठ फाईल तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित गया है। (संलग्नक—5) इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि में 32.553 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 65.106 हैठ का चयन कर प्रस्तावक विभाग को लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा 65.106 हैठ का स्वयन कर प्रस्तावक विभाग को लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा 65.106 हैठ अनेता का सीठएठ मैप एवं केठएमठएलठ फाईल तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की है, जो कि संलग्न 5 के अनुसार।
10	In KML file only 9 patches of CA area are uploaded but in digital map 11 sites are found selected. State Government may clarify.	बिन्दु सं0 10 के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आरक्षित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन कर 10 पैचों में डिजिटल मैप एवं के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
	The area of 65 ha for raising CA is found selected in 9 or 11 patches is not acceptable wich is also far away from each other. State Government is requested to exploare big patches for the purpose. Digital map and SoI toposheet uploaded at para 13 in part II are not signed by any authority. State Government may upload these maps duly countersigned by the concerned	बिन्दु सं0 9 एवं 10 के अनुसार। बिन्दु सं0 12 के कम में अवगत करना है कि इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-।। के पैरा 13 में डिजिटल मानचित्र और SoI टोपोशीट में सभी के हस्ताक्षर कर प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये हैं।
	DFO. Some CA area selected in reserve forest land and some in revenue land but the complete detail of the CA area with names is not mentioned at para 13 and in CA scheme,	बिन्दु सं0 12 के अनुसार ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
	which is required to be done. Details of non forest land not filled online in Part I which is also required. State Government is requested to upload the details of non forest land as well in online part I.	Non-forest Area" के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
	Out of 32.553 ha area, 7.92 ha area is selected for muck dumping. State Government is requested to explore non forest land for the prupose as the proposal is for widening and carry out muck is not a difficult task.	Additional information detail में ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
	Cost benefit ration analysis uploaded at part G is not in the latest format. State Government is requested to submit the Cost benefit rationallysis in the latest format quantifying each parameter.	o पैरा G में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–6)
	Area mentioned in FRA of DM is 33 h instead of 32.553 ha. State Government requested to submit the FRA for the are proposed for diversion i.e. 32.553 hectar However, the same may be submitted prior Stage-II approval.	a दिया जायेगा। e.

		कर्या गया
	Village Level committee (VLC) meeting proceedings are not found provided at para B 2.3 also VLC meeting proceedings of many villages names of which is mentioned in para B. 2.3 are not found. State Government may submit the clarification in this regard and provide the correct information. Details of saplings are not included in the tree	बेन्दु संख्या 18 में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत करया गया है कि पार्ट—। के पैरा B के 2.3 में वह प्राम दर्शाये गये हैं जनमें वन भूमि अधिग्रहण हो रही है। साथ ही यह स्पष्ट करना है कि 01 राजस्व ग्राम 03 से 04 गांव को मिलकर बनाया जाता है जिसके कारण पैरा B 2.3 तथा VLC में भिन्नता आई है। VLC से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पार्ट । के पैरा K के (a) में तथा Additinal Information details में भी ऑन लाईन अपलोड भी किये गये हैं। बिन्दु संख्या—19 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर प्राप्त नई SOP में प्रपन्न संख्या 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 एवं 16 में 0—10 का कॉलम किसी भी प्रपन्न में नहीं जोड़ा गया है। जिसके कारण संयुक्त निरीक्षण के समय 0—10 व्यास वर्ग के पैधों की गणना नहीं की गई बिन्दु सं0—20 के कम में अवगत करना है कि वृक्षों की सूची पुनः ऑन लाईन अपलोड कर इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट—1। के Additional information details में Tree details के नाम से अपलोड कर दिया गया है।
21	proper format. NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/ upload	इस वन प्रभाग द्वारा एन०पी०वी० का आंकलन नई दरों के अनुसार पार्ट—।। के Additional information details में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक 7)
22	NPV calculation sheet as per the new rates. A copy of blank bar chart signed by Executive Engineer, Assistant Engineer and RFO found uploaded. State Government is required to submit the clarification in this regard and	प्रस्तावक विभाग द्वारा बार चार्ट में पूर्व में ही हस्ताक्षर कर पार्ट-। में Additional information detail में Bar Chart के नाम से ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
23	provide the complete and correct information. In place of administrative approval gazette notification of 2004 found uploaded. Further, the name of the concerned proposal also not mentioned in the document. A copy of the administrative approval for this proposal is required to be uploaded as additional	प्रस्तावक विभाग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन की प्रति पार्ट-। के Additional information detail में Financial Sanction के नाम से ऑन लाईन अपलोड की गई है।
24	information document. It is seen that the Geologist report is submitted by the consultant geologist. It is suggested that the report be got prepared by some professional institution since the submitted report vaguely raises certain points which are	की गई है जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-। के Additional information detail में Geologist report के नाम से ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
2	not completely answered. It has been mentioned in the geologist report that slope in 8 km length is very steep. State Government is requested to furnish detailed plan in the area for slope stabilization and muck dumping.	के अनुसार slope stabilization and muck dumping के प्रयोप्त प्राविधान की व्यवस्था डी०पी०आर० में की गई है।
2	A patch of 9 km was advised to be avoided in Geologist report. State Government is requested to clarify that whether the same is proposed in proposal in spite of geologist suggestion or has been change in form of bypass.	किमी0 का पैच बुवाखाल से पौड़ी का है जिसमें कि ह सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है। क्योंकि इस पैच में सघन वनस्पति एवं घनी आबादी है जिसके कारण इस पैच में कटिंग का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है।
	Total forest area diverted in Pauri division in mentioned as 813 ha which seems incorrect Further, as per the information provided in the District Profile (in online Part II para 14), Castipulated not commensurate to the forest lar diverted. State Government is requested to find	t. द्वारा District Frome के जान का किया गई है तथा 14 में संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड की गई है तथा Additional Information details में भी District Profile के नाम से भी ऑन लाईन अपलोड किया गया है।

29	their location, area, carrying capacity not enclosed with the muck disposal plan. State Government may submit/ upload the map showing location of all 16 selected muck dumping sites their carrying capacity and area detail.	बिन्दु सं० 28 के कम में अवगत करना है कि प्रभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बांज वृक्षों की संख्या 199 अंकित की गई है तथा पार्ट—।।। में वन संरक्षक महोदय गढ़वाल वृत्त द्वारा 199 वृक्ष बांज के साथ 01 वृक्ष मणिपुरी बांज का भी सिम्मिलित किया गया है जिसके कारण वृक्षों की गणना 200 से आ रही है। इसके अतिरिक्त विषयगत प्रकरण में नापखेत में भी 05 वृक्ष बांज के प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें ऑन लाईन पार्ट—।। में गणना नहीं लिया गया है। बिन्दु संख्या—29 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्ट—। में submit/ upload the map showing location of all 16 selected muck dumping sites their carrying capacity and area detail पार्ट—। के Additional information detail में Muck dispoal plan along with Toposheet Geo Map and Google earth or Village map के नाम से ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। बिन्दु संख्या—30 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन क्षेत्र में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन क्षेत्र में प्रस्तावित 16 मक डिस्पोजल की योजना पार्ट—। के Additional informati detail में Reclamation plan Query no 30 के नाम से ऑन
	1 A detailed plan on muck dumping is also required to be submitted as the same is highlighted again and again in the geologist report. State Government may submit/ upload the complete muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified much disposal sites duly approved by the DFO. अतः प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्नक:— यथोपरि।	लाईन अपलोड कर दिया गया है। बिन्दु सं0–31 के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना एवं अन्य दस्तावेज में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ऑन लाईन पार्ट–। के Additional Information Details के कमांक 42 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
	(ICI 197	मवदाय,

(मुकेष्ट्र कुमार) प्रमागीय बनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।